


8



R 27 90- II-6

श. राकेश कुमार निगम- ए
 रा आज दि. 16/8/16 को
 स्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/16
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. लालबहादुर सिंह पिता स्व. रामानुज सिंह, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती एवं
 नौकरी

2. आवेगल सिंह पिता स्व. रामानुज सिंह, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती

3. बालबहादुर सिंह पिता स्व. रामानुज सिंह, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती

4. कपूर सिंह पिता स्व. रामानुज सिंह

5. मंगलम सिंह पिता स्व. रामानुज सिंह

6. जगन्दी सिंह पिता स्व. रामानुज सिंह

7. सुमन सिंह पत्नी स्व. मधुक सिंह

8. अरुणोदर सिंह पिता मधुक सिंह

9. शिवधर सिंह पिता मधुक सिंह

उपरोक्त निवासी ग्राम कोवरा विष्णुकल्याण सिंह, थाना व तहसील रामपुर
 मैकिरा, जिला सीधी (मि.प्र.०)

आदेश क्रमांक / निगरानी/कलमिण

वैतान

1. रामनजम तिवारी तनय स्व. लक्ष्मीदेवी देवी देवी

2. सुमन तिवारी पिता रामनाथ तिवारी

3. शंभरमणि मिश्रा तनय शिवधर मिश्रा

4. हरमणि मिश्रा तनय शिवधर मिश्रा

5. रावेन्द्र कोटवार तनय जगदीश कोटवार

6. जगन्दी मिश्रा तनय जसुता प्रसाद मिश्रा

उपरोक्त निवासी ग्राम कोवरा विष्णुकल्याण सिंह, थाना व तहसील रामपुर
 मैकिरा, जिला सीधी (मि.प्र.०)

आदेश क्रमांक / निगरानी/कलमिण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसील रामपुर

वैतान, तहसील रामपुर मैकिरा, जिला

सीधी के प्रकरण क्रमांक 1/303/

16-15 नं. एतित आदेश दिनांक

16/07/2016

राकेश कुमार निगम
 16/8/16
 राकेश कुमार निगम
 क्लर्क ऑफ कोर्ट

[Handwritten signature]


राकेश कुमार निगम
 16/8/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2790-दो/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चौहान उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार रामपुर नैकिन के प्रकरण क्र. 1/अ-13/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	